

21.06.2024:-पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि पूर्व दिनांक 08.07.2024 को वास्ते तलबी हिदायत दिगई थी। लगातार अवसर दिये जा रहे है। उपस्थित नही आ रहे। अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही हो रही है। वादी व वादी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। वाद व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद-पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इन्दुरानगढ़